

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जनवरी 2025 पौष 23, शक 1946

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

### आदेश

क्र. 3865/आर-1851162-2024-बी-1-दो.- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 48 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा विहित करती है, कि प्रत्येक पुलिस थाने में एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सूचना दी गई है और उससे संबंधित प्रविष्टियां उक्त अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उल्लेखित की गई है, अर्थात् :-

### रजिस्टर

अनुक्र	अपराध क्रमांक एवं धारा	गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पता	मोबाईल नंबर, व्हाट्स अप नंबर एवं ई-मेल एड्रेस	गिरफ्तारी की दिनांक	गिरफ्तारी की सूचना जिस व्यक्ति को दी गई उसका नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर	व्यक्ति को सूचना दी गई उसका संबंध	सूचना की रीति एवं दिनांक	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव राजपूत, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

क्र. आर-1851162-2024-बी-1-दो.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव राजपूत, सचिव.

No. 3865 R-1851162-2024-B-1-Two;

Bhopal, the 13<sup>rd</sup> January 2025

### **ORDER**

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 48 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the State Government, hereby, prescribes that every Police Station shall keep the register in which information regarding arrested person is given and entries relating thereto are mentioned under the provisions of sub-section (1) of section 48 of the said Act, namely:-

### **REGISTER**

S. No.	Crime No. and section	Name, Father's name and complete address of arrested person	Mobile No., Whatsapp No. and e-mail ID	Date of arrest	Name, address and mobile no. of a person to whom the information of arrest is given	Relationship of a person to whom the information is given	Mode and date of notice	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

GAURAV RAJPUT, Secy.